अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—134 सन् 2014

छठिया कुंअर.....वादिनी

बनाम

बच्चा सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक—10.11.2020

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक—24.02.2020 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 1 बच्चा सिंह अपने निवास स्थान पर दिनांक—14.01.2020 को स्वर्गवासी हो गए। बच्चा सिंह का एक वारिसान प्रमोद सिंह पूर्व से ही वादपत्र में पक्षकार हैं एवं उनकी पांच पुत्रियां कमशः 1. प्रमिला देवी 2. गीता देवी 3. रीता देवी 4. निरू देवी 5. गुड़िया देवी का नाम वादपत्र में दर्ज कराना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादपत्र से प्रतिवादी सं0 1 बच्चा सिंह का नाम काटकर उनके स्थान पर उनकी पुत्रियों का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक—19.10.2020 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी का आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादी ने विलंब से प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया है। अतः निवेदन है कि वादी का प्रतिस्थापना आवेदन खारिज कर दिया जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से

विदित होता है कि इस हकियत वाद में प्रतिवादी सं0 1 बच्चा प्रसाद सिंह थे जिनकी मृत्यु के संबंध में यह प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है। वादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के भीतर दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे वादपत्र से प्रतिवादी सं0 1 बच्चा सिंह का नाम काटकर उनके स्थान पर उनकी पुत्रियों को नाम प्रतिस्थापित करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक–24.11.2020

सब जज

सोनपुर सारण।